

प्रृष्ठा 8

(नियम 2.4.6(1) के प्रतिनिर्देश)
अभिहित अधिकारी के समक्ष अपील का प्रृष्ठा
अभिहित अधिकारी के समीप अपील का प्रारूप
(-----, उत्तराखण्ड)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006(2006 का 34) की धारा 46(4) के अधीन
अपील के मामले में

और

खाद्य विश्लेषक से-----तारीख की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील के मामले में

1- खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट सं0 और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है-----

2- तथ्यों और आधारों के संक्षिप्त व्यौरे जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है-

3- दावा किया गया अनुतोष

अपीलार्थी के हस्ताक्षर